राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे,जयपुर

विषयः सम्बल ग्राम विकास योजना के नये दिशा–निर्देशो को विभागीय वैबसाईट पर डालने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के नियत्रणाधीन संचालित सम्बल ग्राम विकास योजना के नये दिशा–निर्देश दिनांक 23.02.2015 को जारी किये गये है। इसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। अतः योजना के दिशा–निर्देशो को तत्काल विभागीय वैबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।
संलग्न : उक्तानुसार।

अति. निदेशक (एससीएसपी)

क्रमांक :– एफः2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.ला./सान्याअवि/2007–08/9058
जयपुर, दिनांक 24-2-2015

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक :– एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2014–15/8876 जयपुर, दिनांक 23-2-2015

सम्बल ग्राम विकास योजना के दिशा–निर्देश

सम्बल ग्राम विकास योजना की क्रियान्विति हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश पूर्व में जारी किये गये है। विगत समय में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागो द्वारा कराये गये विकास कार्यो एवं आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में योजना की समीक्षा करने के उपरान्त वर्तमान परिस्थितियो, आवश्यकता एवं मांग के अनुसार सम्बल ग्राम विकास योजना हेतु पूर्व में जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों को प्रत्याहरित (Withdraw) करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. **योजना का नामः**– सम्बल ग्राम विकास योजना
2. **योजना का उदेश्यः**–चयनित सम्बल ग्रामो में विभिन्न विभागो द्वारा किये गये/ किये जा रहे आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त आवश्यक Critical Gaps Filling इत्यादि से सम्बन्धित कार्यो एवं व्यक्तिगत लाभ की सुविधाएं प्रदान कर सम्बल ग्रामो का समग्र विकास करना।
3. **लाभान्ति समूहः**–आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु सम्पूर्ण सम्बल ग्राम तथा व्यक्तिगत लाभ हेतु अनुसूचित जाति के समस्त बी.पी.एल परिवार एवं ऐसे ए.पी.ए.ल परिवार जो आयकर दाता नही है।
4. **सम्बल ग्रामः**– सम्बल ग्राम से तात्पर्य उस ग्राम से है जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या उस ग्राम की कुल जनसंख्या के अनुपात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है।
5. **स्वीकृत राशि सीमाः**– **(i)** आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु Critical Gaps Filling इत्यादि कार्यो हेतु प्रति सम्बल ग्राम राशि रूपये 10.00 लाख अधिकतम प्रतिवर्ष।
   (ii) व्यक्तिगत लाभ की सुविधाओ हेतु राशि की अधिकतम सीमा बजट उपलब्धता अनुरूप होगी एवं उक्त सीमा आधारभूत संरचना हेतु नियत सीमा 10.00 लाख रूपये के अतिरिक्त होगी।
6. **योजनान्तर्गत स्वीकृति योग्य कार्यः**–
   (1) आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु–
   - (i) सीमेन्ट कंक्रीट सड़क
   - (ii) इन्टर लॉकिंग सड़क
   - (iii) नाली निर्माण
   - (iv) खरंजा एवं कलवर्ट/रपट/पुलिया निर्माण
   - (v) हैण्डपम्प स्थापना
   - (vi) सामुदायिक ट्यूबवैल (रागुदाय द्वारा संचालित किये जाने की स्थिति में)
   - (vii) विद्यालयों/महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ लैब इत्यादि का निर्माण
   - (viii) बस्ती विद्युतिकरण के कार्य
   - (ix) डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण
   - (x) चिकित्सा भवनो हेतु अतिरिक्त कक्ष/ लैब इत्यादि का निर्माण
   - (xi) अन्य कार्य निदेशालय की पूर्व अनुमति से

23.2.15

(2) **व्यक्तिगत लाभ/ सामुदायिक लाभ की सुविधाएंः**

(i) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

(ii) सामुदायिक शौचालय निर्माण

(iii) स्ट्रीट सौलर लाईट

(iv) जल संरक्षण हेतु टांका निर्माण

(v) नवाचार के अन्य प्रस्ताव

(vi) अन्य कार्य निदेशालय की पूर्व अनुमति से

7. **तकनिकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिः–**

(i) आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु स्वीकृति योग्य कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यकारी संस्था का निर्धारण जिला कलक्टर की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र) द्वारा किया जावेगा।

(ii) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमानुसार तकनींकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी की जावेगी।

(iii) आधारभूत संरचना के कार्यो का क्रियान्वयन (कार्यकारी एजेन्सी) प्राथमिकता के तौर पर राजकीय विभागों/ पंचायती राज संस्थाओं से कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किये जाने से पूर्व, निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iv) कार्यो की क्रियान्विति तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही की जा सकेगी।

(v) वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में Critical Gaps Filling हेतु कार्यो का चिन्हिकरण एवं आवश्यकता अनुरूप प्राथमिकता का निर्धारण जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

8. व्यक्तिगत लाभ/ सामुदायिक लाभ की सुविधाओं के प्रस्ताव सम्बल ग्रामवार तैयार कर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित किये जायेंगे। उक्त प्राप्त प्ररतावों पर गुणावगुण एवं प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्विति के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा जारी की जावेंगी।
9. आधारभूत संरचना के कार्यो एवं व्यक्तिगत लाभ/सामुदायिक लाभ की सुविधाओं की क्रियान्विति के दौरान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।
10. सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रावधित/आवंटित राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास एव विस्तार के कार्यो हेतु अन्य योजनाओं की सम–प्रयोजन हेतु प्रावधित राशि के साथ Dovetail कर किया जा सकेगा एवं इसी प्रकार व्यक्तिगत लाभ व सामुदायिक लाभ की सुविधाओं की क्रियान्विति हेतु भी राशि का उपयोग अन्य योजनाओं के तहत सम–प्रयोजन हेतु प्रावधित राशि से Dovetail कर किया जा सकेगा।

23.2.15

11. डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ऐसे सम्बल ग्राम जहॉ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, स्थानीय आवश्यकताओं में इसकी प्राथमिकता हो तथा जहॉ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उक्त केन्द्र नही बनाया गया हो, वहां बनाया जा सकेगा।
12. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु सम्बल ग्रामों की प्राथमिकता, सम्बल ग्रामों में निवासरत कुल अनुसूचित परिवारों की संख्या के अनुपात में ऐसे अनुसूचित परिवार जिनके द्वारा व्यक्तिगत शौचालय पूर्व में (मय सेफिटक टैंक) निर्माण नही करा रखा है, के आधार पर, अधिकतम प्रतिशत से न्यूनतम प्रतिशत के अवरोही क्रम में तय की जावेगी एवं उपलब्ध बजट के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत लाभ के तहत कार्य कराया जावेगा, ताकि ऐसे ग्राम को खुले में शौच से मुक्त(Open Defecation Free) कराया जाना सम्भव हो सकेगा।
13. ऐसे सम्बल ग्राम जहॉ जगह की कमी या अन्य कारण से सामुदायिक शौचालय की मांग की जाती है, मे सामुदायिक शौचालयो के निर्माण की स्वीकृति, उक्त निर्मित होने वाले शौचालय के रख रखाव व संचालन, ग्राम समिति द्वारा किये जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही प्रदान की जा सकेगी।
14. प्रत्येक वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यो का चिन्हिकरण कर प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु समिति निम्नानुसार होगीः–

अ. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
ब. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र)	सदस्य
स. परियोजना प्रबन्धक,रा.अनु.ज.जाति वि.एवं विकास सहकारी निगम लि.	सदस्य
द. उपनिदेशक / सहा.निदेशक / जि.प.एवंसकअ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

15. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवंटित राशि सम्बन्धित जिला परिषद के निजी निक्षेप खाते में उस जिले के कोषालय द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी। उक्त प्राप्त आवंटित राशि के अनुरूप स्वीकृतियां जारी की जाकर राशि का उपयोग अधिकतम एक वर्ष की अवधि में करना होगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। आवंटित / हस्तान्तरित राशि के समयबद्ध एवं पूर्ण उपयोग हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उत्तरदायी होंगे। कार्यकारी संस्था को राशि का भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।
16. जिले को आवंटित तथा हस्तान्तरित राशि से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जावे। आवंटित तथा हस्तान्तरित राशि से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत करने एवं देयता (Liability) उत्पन्न होने की स्थिति में राशि का भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा तथा देयता राशि का वहन स्वंय जिला परिषद को करना होगा।
17. योजनान्तर्गत कार्यो के प्रस्ताव / रूपरेखा तैयार कर पत्रावलियां जिलाधिकारी, सान्याअवि द्वारा जिला परिषद को निर्णय / स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी।
18. कार्यो की स्वीकृतियां जारी होने, क्रियान्वयन एजेन्सी / संस्था निर्धारित होने के उपरान्त कार्यो की प्रगति एवं प्रभावी मोनिटरिंग हेतु जिलाधिकारी,सान्याअवि उत्तरदायी होंगे। कार्यो के प्रभावी प्रगति की मोनिटरिंग हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्तर पर कार्यकारी संस्थाओं की मासिक बैठक एवं प्रत्येक तीन माह में जिला कलक्टर स्तर पर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक की तिथी, संचालन, आयोजन एवं कार्यवाही विवरण जारी करने का उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की स्वीकृतिनुसार जिलाधिकारी, सान्याअवि का होगा।
19. मासिक,भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी, सान्याअवि द्वारा निदेशालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

23.2.15

20. योजान्तर्गत आवंटित राशि से कार्यकारी संस्था/जिला परिषद/ सान्याअवि या अन्य किसी भी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की चल/अचल सम्पत्ति स्वंय के उपयोग हेतु निष्पादित नही की जावेगी एवं न ही उक्त राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ/अस्थायी अग्रिम/ अन्य योजना हेतु किया जा सकेगा।
21. योजनान्तर्गत आवंटित राशि के आय–व्ययक लेखे राज्य सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि की जांच/आडिट हेतु सदैव खुले रहेंगे।
22. निर्माण कार्यो हेतु तकमीना नवीनतम प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका अथवा सम्बन्धित विभाग की नवीनतम प्रचलित बी.एस.आर. के अनुरूप ही होंगे।
23. निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि का नियमानुसार निःशुल्क हस्तान्तरण विभाग के हक में होने के उपरान्त ही निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की जावे। भूमि अवाप्ति हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क/राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
24. योजनान्तर्गत नवीन कार्य ही स्वीकृत किये जायेगें।
25. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के संचालन, संधारण, मरम्मत,अनुरक्षण एवं रखरखाव इत्यादि हेतु भविष्य में कोई भी राशि देय नही होगी।
26. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के एक माह की समयावधि में कार्य प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक होगा।
27. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा की योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत नही हुए एवं भुगतान का दोहरान नहीं हो, ऐसा सुनिश्चित किया जावे।
28. उक्त योजनान्तर्गत किसी भी कार्य को स्वीकृत करने, निरस्त करने या संशोधन करने तथा योजना की क्रियान्विति हेतु कार्यकारी संस्था का निर्धारण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु अन्तिम निर्णय जिला कलक्टर का होगा।

उक्त दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रभावी होंगे।

23.2.15

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक :– एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2014–15/8877–9048 जयपुर, दिनांक 23/2/2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नि. लि. राज. जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त राजस्थान।
9. परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नि. लि., समस्त राजस्थान।
10. उप/सहायक निदेशक/जि.प.एवं स.क.अ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक (एससीएसपी)